Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं0– 672 /2016–17

वाद का प्रकार – बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

28/9/16

झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–ख0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि –

मौजा बलियापुर थाना नं0 185 जमा0सं0 266

खाता सं0 109 प्लॉट सं0 2351 2360, 2364 रकबा 3.15 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–।। पर जमाबंदी रैयत मो0 ग्र मलिम ग्रा0 बलियापुर के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 18/10/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

28/9/16

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

D:\Nital\Najir Doc\jmabandi radh abhilekh 14

18/10/16 अभिलेख उपस्थापित। जमाबन्दीदार की ओर से
24/4/18
विमल वाली एवं शीतलपुर द्वारा न्यायालय में
उपस्थित होकर केवल वर्ष 1982, 88, 90 एवं वर्ष 2009
का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु उनके
द्वारा जमाबन्दी कायम किये जाने से संबंधित कोई
ठोस कागजात की प्रति प्रस्तुत नहीं किये हैं,
जिससे कि उक्त भूमि की दावे की पुष्टि हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में जमाबन्दीदार
को पुनः अन्तिम बार नोटिस निर्गत करें तथा उक्त
भूमि को दावे से संबंधित मूल कागजातों के साथ
अपना पक्ष रखें। अभिलेख दिनांक 4/5/18 को
रखें।

24.4.18
अंचल अधिकारी
शीतलपुर

4/5/18 अभिलेख उपस्थापित। उक्त पते पर जमाबन्दीदार
का कोई पता नहीं चला। जिसे आदेशपाल - चौकीदार
द्वारा नोटिस बिना तामिला के वापस किया।

अतः जमाबन्दीदार को पुनः नोटिस
निर्गत करें तथा निबंधित डाक के माध्यम से तामिला
हेतु भेजें एवं अभिलेख दिनांक 28/5/18
को।

को उपस्थापित

04.05.18
अंचल अधिकारी
शीतलपुर

[illegible] अभिलेख अवलोकित। जमाबन्दीदार की ओर से उनके पोते द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर केवल दो प्रमाण लगान रसीद प्रस्तुत किये हैं, जो अपठनीय है। उनके द्वारा अन्य भूमि के बाबत जमाबन्दी कायम किये जाने संबंधी ऐसा कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अतः ऐसी परिस्थिति में उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, [illegible] को भेजें।

(हस्ताक्षर)
28.05.18

अंचल अधिकारी
[illegible]पुर।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)।

वाद अभिलेख संख्या– 572 /2018 (अन्तर्गत धारा–4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम...

ढोंढू मांझी, ग्रा०–शीतलपुर

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा शीतलपुर मौजा नं० 185 खाता नं० 109 प्लॉट नं० 2351, 2360, 2364 रकबा [illegible] से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० [illegible] के राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 18/10/18 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–I, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वार निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबन्दी के संबंध मे युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

29/9/18